

संदर्भ सं. राबैं.डॉर/118096-118119/ एलटी नीति-9 / 2025-26

19 नवंबर 2025

परिपत्र सं. 277 / डॉर - 69 / 2025

अध्यक्ष

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदया/ महोदय

**कृषि हेतु निवेश ऋण हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त - दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि 2025-26 (एलटीआरसीएफ) - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक**

जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में दीर्घावधि निवेश ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्त कार्यों को बढ़ाने हेतु नाबार्ड के साथ मिलकर दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ) की स्थापना की है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एलटीआरसीएफ के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश संलग्न हैं.

2. नाबार्ड से पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.50% प्रति वर्ष (तिमाही छूट सहित) होगी, जो समय-समय पर नाबार्ड द्वारा संशोधन के अधीन होगी. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कम लागत वाली निधियों का लाभ अंतिम उधारकर्ता तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. बैंकों को एलटीआरसीएफ के अंतर्गत रियायती निधियों का उपयोग कृषि के अंतर्गत पात्र उद्देश्यों हेतु आस्तियाँ बनाने हेतु करना चाहिए.

3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निधि की 25% राशि का उपयोग उन चिह्नित जिलों में किया जाए जहाँ ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (जिलों की सूची संलग्न है).

4. यह परिपत्र नाबार्ड की वेबसाइट [www.nabard.org](http://www.nabard.org) पर सूचना केंद्र टैब के अंतर्गत भी उपलब्ध है.

5. कृपया पावती दें.

भवदीय

(डॉ. के एस महेश)

मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक: यथोक्त

**राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक**

**National Bank for Agriculture and Rural Development**

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: 022 2652 4926 • फ़ैक्स: 022 2653 0090 • ई मेल: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)  
Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: 022 2652 4926 • Fax: 022 2653 0090 • E-mail: [dor@nabard.org](mailto:dor@nabard.org)

## दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि 2025-26 (एलटीआरसीएफ़)

### 1. प्रस्तावना

कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि में पूँजी निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह किसानों को मौसम और जलवायु परिवर्तन से होने वाली अनिश्चितताओं से बचाता है और उन्हें एक स्थायी आय प्रवाह प्रदान करता है. इसके अलावा, संबद्ध गतिविधियों में पूँजी निर्माण, किसानों को आय का एक स्थायी प्रवाह प्रदान करके उनकी क्षमता को बढ़ाता है.

दीर्घावधि निवेश ऋण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने नाबार्ड के साथ मिलकर एक "दीर्घावधि ग्रामीण ऋण निधि" की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए कृषि गतिविधियों में निवेश ऋण हेतु दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है.

योजना की मुख्य विशेषताएं और पुनर्वित्त प्रदान करने की महत्वपूर्ण नियम व शर्तें निम्नानुसार हैं:

### 2. पात्र संस्थाएँ

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो नाबार्ड द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और नाबार्ड से पुनर्वित्त सुविधाएँ प्राप्त करने के पात्र हैं, इस ऋण व्यवस्था के अंतर्गत पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.

### 3. पात्रता मानदंड

पात्रता मानदंड दीर्घकालिक पुनर्वित्त और समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशा-निर्देशों पर मौजूदा प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में विनिर्दिष्ट अनुसार लागू होंगे.

तथापि, जिन जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, वहाँ ऋण प्रवाह में सुधार लाने के लिए, नाबार्ड ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एलटीआरसीएफ़ के अंतर्गत कॉर्पस निधि का 25% इन जिलों के लिए आबंटित किया है (जिलों की सूची संलग्न है). इन चिह्नित जिलों में उपयोग की नाबार्ड द्वारा बारीकी से अनुप्रवर्तन किया जाएगा.

### 4. कवर की गई गतिविधियाँ

कृषि क्षेत्र के अंतर्गत सभी पात्र निवेश गतिविधियाँ इस योजना के अंतर्गत कवर की जाएँगी. कृषि क्षेत्र की निवेश गतिविधियों के लिए बैंकों द्वारा वितरित ₹5 लाख से अधिक के महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ऋण, एलटीआरसीएफ़ के अंतर्गत पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कि वे घोषणा करें कि ये ऋण कृषि क्षेत्र की निवेश गतिविधियों के लिए हैं और एनआरएलएम/ एनआरएलएम के अंतर्गत ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत कवर नहीं हैं. एलटीआरसीएफ़ के अंतर्गत रियायती पुनर्वित्त के लिए पुनर्वित्त दावे के साथ विस्तृत ऋण पूल डेटा प्रस्तुत करना होगा.

### 5. पुनर्वित्त की सीमा

पूर्वोत्तर क्षेत्र (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम), पहाड़ी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड), पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के राज्यों के लिए पुनर्वित्त की सीमा सभी उद्देश्यों के लिए पात्र बैंक ऋणों का 95% होगी. अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त की सीमा:

(क) सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए 95% (जैसा कि हमारी पुनर्वित्त नीति में दर्शाया गया है)

(ख) अन्य सभी विविध उद्देश्यों के लिए 90%.

## 6. स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ़)

कृषि क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त राशि, बैंक ऋण या कुल वित्तीय परिव्यय की किसी भी ऊपरी सीमा के बिना स्वचालित पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाएगी. यदि कोई बैंक पूर्व-मंजूरी प्रक्रिया के तहत पुनर्वित्त प्राप्त करना चाहता है, तो वह नाबार्ड को परियोजनाएँ प्रस्तुत कर सकता है.

## 7. ब्याज दर और अन्य

### 7.1 उधारकर्ताओं हेतु ऋण

अंतिम उधारकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी. बैंकों को कम लागत वाले फंड का लाभ अंतिम उधारकर्ताओं तक पहुँचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

### 7.2 नाबार्ड से पुनर्वित्त

नाबार्ड से पुनर्वित्त पर ब्याज दर 4.50% प्रति वर्ष (तिमाही छूट सहित) होगी, जो समय-समय पर नाबार्ड द्वारा संशोधन के अधीन होगी. यह अपेक्षित है कि बैंक रियायती पुनर्वित्त का लाभ अंतिम उधारकर्ता को प्रदान करेंगे.

### 7.3 दंडात्मक प्रभार

मूलधन और/ या ब्याज के भुगतान में चूक की स्थिति में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड को चूक की राशि पर 2% (लागू करें सहित) की दर से दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. यह शुल्क चूक की तिथि को चूक की अवधि के लिए प्रचलित 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दीर्घावधि पुनर्वित्त (सामान्य) पर ब्याज दर के अतिरिक्त होगा. दंडात्मक शुल्क समय-समय पर संशोधन के अधीन है.

## 8. चुकौती अवधि

ग्रामीण/ कृषि क्षेत्र में पूँजी निर्माण को सहयोग प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहुँच को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एलटीआरसीएफ़ के अंतर्गत पाँच वर्ष के अंत में एकबारगी चुकौती करेंगे. ब्याज की अदायगी वर्तमान में प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार होगी.

एलटीआरसीएफ़ जमा के अंतर्गत जमाकर्ता बैंकों के प्रति चुकौती संबंधी दायित्वों में किसी भी परिवर्तन का प्रभाव ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं द्वारा नाबार्ड को चुकौती अनुसूची पर पड़ेगा.

## 9. अभिलेखों का अनुरक्षण

एलटीआरसी निधि के तहत दिए गए पुनर्वित्त का अलग से हिसाब रखना होगा और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक रिकॉर्ड बनाए रखने होंगे. बैंकों को नाबार्ड द्वारा मांगे जाने पर ऋण की औसत राशि, ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क आदि जैसी सभी जानकारी प्रदान करनी होगी.

## 10. एलटीआरसीएफ़ के अंतर्गत दीर्घावधि आस्ति कवरेज प्रमाण-पत्र (एलटीएसीसी).

चूंकि बैंक से चुकौती 5 वर्षों के अंत में बुलेट मोड में होगा, अतः आधार स्तर पर बुलेट चुकौती का बकाया इस तरह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एलटीआरसीएफ़ के तहत लाभार्थियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित ऋणों का बकाया एलटीआरसीएफ़ के तहत बकाया नाबार्ड के पुनर्वित्त राशि से कम नहीं होना चाहिए. बकाया के साथ दीर्घावधि आस्तियों का मिलान करने के लिए, बैंक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एलटीआरसीएफ़ के तहत एलटीएसीसी को प्रत्येक तिमाही के अगले महीने की 10 तारीख तक संलग्न प्रारूप के अनुसार तिमाही आधार पर जमा करना आवश्यक है. आस्ति कवरेज बनाए रखने के अलावा, बैंकों को योग्य उद्देश्यों के लिए कृषि के तहत आस्तियाँ बनाने के लिए एलटीआरसीएफ़ के तहत रियायती निधियों का उपयोग करने की आवश्यकता है. नाबार्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से आपकी शाखाओं का दौरा करके नमूना आधार पर जमीनी स्तर पर वार्षिक परीक्षण जाँच करेगा.

11. पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए हमारे परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी मौजूदा नियम और शर्तें इस योजना के अंतर्गत लागू होंगी.

## कम प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वाले जिलों की सूची

क्रम. सं. Sl.No	राज्य State	जिला का नाम District name
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	निकोबार
2	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतारमा राजू
3	अरुणाचल प्रदेश	अंजाव
4	अरुणाचल प्रदेश	चुंगलांग
5	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग
6	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग
7	अरुणाचल प्रदेश	कामले
8	अरुणाचल प्रदेश	क्र दादी
9	अरुणाचल प्रदेश	कुरुंग कुमेय
10	अरुणाचल प्रदेश	लेपराडा
11	अरुणाचल प्रदेश	लोहित
12	अरुणाचल प्रदेश	लोगडिंग
13	अरुणाचल प्रदेश	निचली दिबांग घाटी
14	अरुणाचल प्रदेश	निचला सियांग
15	अरुणाचल प्रदेश	निचला सुबनसिरी
16	अरुणाचल प्रदेश	नामसाई
17	अरुणाचल प्रदेश	पक्के केसांग
18	अरुणाचल प्रदेश	शि-योमी
19	अरुणाचल प्रदेश	सियांग
20	अरुणाचल प्रदेश	तवांग
21	अरुणाचल प्रदेश	तिरप
22	अरुणाचल प्रदेश	ऊपरी सियांग
23	अरुणाचल प्रदेश	ऊपरी सुबनसिरी
24	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग
25	असम	बजाली
26	असम	बक्सा
27	असम	चराइदेव
28	असम	चिरांग
29	असम	धेमाजी
30	असम	धुबरी
31	असम	दीमा हसाओ
32	असम	गोलपाड़ा
33	असम	हैलाकांडी
34	असम	होजाई
35	असम	कार्बी आंगलोंग
36	असम	करीमगंज
37	असम	कोकराझार

क्रम. सं. Sl.No	राज्य State	जिला का नाम District name
38	असम	माजुली
39	असम	मोरीगांव
40	असम	नगांव
41	असम	दक्षिण सलमारा-मनकाचर
42	असम	उदलगुड़ी
43	असम	पश्चिम कार्बी आंगलोंग
44	बिहार	अरवल
45	बिहार	बांका
46	बिहार	भोजपुर
47	बिहार	बक्सर
48	बिहार	गोपालगंज
49	बिहार	जमुई
50	बिहार	जहानाबाद
51	बिहार	कैमूर
52	बिहार	खगरिया
53	बिहार	लखीसराय
54	बिहार	मधेपुरा
55	बिहार	मधुबनी
56	बिहार	मुंगेर
57	बिहार	नालन्दा
58	बिहार	नवादा
59	बिहार	पश्चिमी चंपारण
60	बिहार	सारण
61	बिहार	शेखपुरा
62	बिहार	शिवहर
63	बिहार	सीतामढ़ी
64	बिहार	सिवान
65	बिहार	सुपौल
66	छत्तीसगढ़	बलरामपुर
67	छत्तीसगढ़	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
68	छत्तीसगढ़	गरियाबंद
69	छत्तीसगढ़	गौरीला-पेंड्रा-मरवाही
70	छत्तीसगढ़	जशपुर
71	छत्तीसगढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई
72	छत्तीसगढ़	कोंडागांव
73	छत्तीसगढ़	कोरिया
74	छत्तीसगढ़	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
75	छत्तीसगढ़	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी
76	छत्तीसगढ़	नारायणपुर
77	छत्तीसगढ़	सक्ती
78	छत्तीसगढ़	सांगढ़-बिलाईगढ़

क्रम. सं. Sl.No	राज्य State	जिला का नाम District name
79	छत्तीसगढ़	सुकमा
80	छत्तीसगढ़	Surajpur
81	छत्तीसगढ़	सरगुजा
82	गुजरात	डांगस
83	हरियाणा	नुह
84	झारखंड	चतरा
85	झारखंड	दुमका
86	झारखंड	गढ़वा
87	झारखंड	गोड्डा
88	झारखंड	गुमला
89	झारखंड	जामताड़ा
90	झारखंड	खूंटी
91	झारखंड	लातेहार
92	झारखंड	पलामू
93	झारखंड	साहेबगंज
94	झारखंड	सिमडेगा
95	मध्य प्रदेश	अलीराजपुर
96	मध्य प्रदेश	अनुपपुर
97	मध्य प्रदेश	भिंड
98	मध्य प्रदेश	डिंडोरी
99	मध्य प्रदेश	निवाड़ी
100	मध्य प्रदेश	पन्ना
101	मध्य प्रदेश	सीधी
102	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़
103	मध्य प्रदेश	उमरिया
104	महाराष्ट्र	गडचिरोली
105	मणिपुर	बिशनपुर
106	मणिपुर	चंदेल
107	मणिपुर	छुरछंदपुर
108	मणिपुर	इंफाल पूर्व
109	मणिपुर	जिरीबाम
110	मणिपुर	काकचिंग
111	मणिपुर	कामजोंग
112	मणिपुर	कांगपोकपी
113	मणिपुर	नोनी
114	मणिपुर	फ़िरज़ावल
115	मणिपुर	सेनापति
116	मणिपुर	तामंगलांग
117	मणिपुर	टेंगनौपाल
118	मणिपुर	थौबल
119	मणिपुर	उखरूल

क्रम. सं. Sl.No	राज्य State	जिला का नाम District name
120	मेघालय	पूर्वी गारो हिल्स
121	मेघालय	पूर्वी जयंतिया हिल्स
122	मेघालय	पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स
123	मेघालय	उत्तरी गारो हिल्स
124	मेघालय	दक्षिणी गारो हिल्स
125	मेघालय	दक्षिण पश्चिमी गारो हिल्स
126	मेघालय	दक्षिण पश्चिमी खासी हिल्स
127	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स
128	मेघालय	पश्चिम जयंतिया हिल्स
129	मेघालय	पश्चिम खासी हिल्स
130	मिज़ोरम	चम्फाई
131	मिज़ोरम	हनाथियाल
132	मिज़ोरम	कोलासिब
133	मिज़ोरम	लॉन्गल्लाई
134	मिज़ोरम	लुंगलेई
135	मिज़ोरम	मामित
136	मिज़ोरम	सैतुअल
137	मिज़ोरम	सेरछिप
138	मिज़ोरम	सीअहा
139	नागालैंड	चुमौकेदिमा
140	नागालैंड	किफायर
141	नागालैंड	लॉंगलेंग
142	नागालैंड	मोकोकचुंग
143	नागालैंड	सोम
144	नागालैंड	न्यूलैंड
145	नागालैंड	नोक्लाक
146	नागालैंड	पेरेन
147	नागालैंड	फ़ेक
148	नागालैंड	शमाटर
149	नागालैंड	त्सेमिन्यु
150	नागालैंड	तुएनसांग
151	नागालैंड	वोखा
152	नागालैंड	जुन्हेबोटो
153	दिल्ली का एनसीटी	पूर्वोत्तर दिल्ली
154	ओडिशा	मलकानगिरी
155	ओडिशा	नवरंगपुर
156	राजस्थान	डीग
157	राजस्थान	गंगापुरसिटी
158	राजस्थान	जोधपुर ग्रामीण
159	राजस्थान	सलूमबर
160	राजस्थान	सांचौर



क्रम. सं. Sl.No	राज्य State	जिला का नाम District name
161	सिक्किम	ग्यालशिंग
162	सिक्किम	सोरेंग
163	तेलंगाणा	अदीलाबाद
164	त्रिपुरा	धलाई
165	त्रिपुरा	गोमती
166	त्रिपुरा	खोवाई
167	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा
168	त्रिपुरा	सिपाहीजला
169	उत्तर प्रदेश	अमरोहा
170	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़
171	उत्तर प्रदेश	बलिया
172	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर
173	उत्तर प्रदेश	बाँदा
174	उत्तर प्रदेश	बस्ती
175	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट
176	उत्तर प्रदेश	फर्रुखाबाद
177	उत्तर प्रदेश	गोंडा
178	उत्तर प्रदेश	जौनपुर
179	उत्तर प्रदेश	कानपुर देहात
180	उत्तर प्रदेश	कौशांबी
181	उत्तर प्रदेश	कुशीनगर
182	उत्तर प्रदेश	महाराजगंज
183	उत्तर प्रदेश	मऊ
184	उत्तर प्रदेश	संतकबीरनगर
185	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती
186	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर
187	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
188	उत्तर प्रदेश	सुल्तानपुर
189	उत्तर प्रदेश	उन्नाव
190	उत्तराखंड	बागेश्वर
191	उत्तराखंड	चमोली
192	उत्तराखंड	पिथौरागढ़
193	उत्तराखंड	रुद्रप्रयाग
194	उत्तराखंड	टेहरी गढ़वाल
195	पश्चिम बंगाल	झारग्राम
196	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया

